रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 1981/भाद्र 23, 1903
No. 420] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 1981/BHADRA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1981

का०आ० 697(अ) (इ)/18फक/18फक/आई०डी०आर०ए०/81—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का०आ० 613(इ)/18 फक/18फक/आई०डी० आर०ए०/76 दिनांक 15 सितम्बर, 1976 द्वारा इंडिस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45, टगरा रोड़ कलकत्ता और 3, पगलाडंग रोड़ कलकत्ता स्थित दो औद्योगिक उपक्रमों के संपूर्ण प्रबंध को 15 सितम्बर, 1976 से पांच साल की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 फक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 10 सितम्बर, 1981 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध एक वर्ष की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 फक के साथ पठित धारा 18 फक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 15 सितम्बर, 1981 से आरम्भ होने वाली 1 साल की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखे।

[फा सं० 2/19/78-सी० यू० एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 14th September, 1981

S.O. 697 (E)|18FA|18AA|IDRA|81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 613 (E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976, the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporaion of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the two industrial undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta and at 3, Pagladanga Road, Calcutta owned by Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976;

And whereas the Central Government, being of opinion that it is expedient in the interests of the general public that the authorised person should continue to manage the said two industrial undertakings after the expiry of the period of five years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year;

And whereas the said High Court, by its Order dated the 10th September, 1981, permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of one year.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of one year commencing from the 15th September, 1981.

[File No. 2|19|75—CUS]

का०आ० 698 (अ).—18-चख/उ०वि०वि०अ०/81—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 39(अ)/18 चख/उ०वि०वि०अ०/77 तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि :—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), इस अनुकूलों सहित कि उक्त अधिनियम की धारा 9-क के अध्याय 5-क और 5-ख और धारा 33-ग का लोप किया जाएगा, मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन दो औद्योगिक उपक्रमों को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कंपनी पक्षकार हैं या जो यथास्थिति, उन औद्योगिक उपक्रमों या कंपनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन, प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकारी, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व निलंबित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर और 14 सितम्बर, 1981 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 14 सितम्बर, 1982 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए,;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की की उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अवधि 14 सितम्बर, 1982 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 2(19)/75-सी०यू०एस०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

S.O. 698(E)|18FB|IDRA|81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39 (E)|18FB|IDRA|77, dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section 1 of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs. Bengal potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 9A, Chapters VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial undertakings or he company, as the case may be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing of arising thereunder before the said date shall remain suspended.

And, whereas, the duration of the said order was extended from time to time upto and inclusive of the 14th September, 1981.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 14th September, 1982.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of the 14th September, 1982.

[File No. 2 (19)|75—CUS]

C. K. MODI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
-AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1981